# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

**प्रकरण सं0 :** 35/2017

**अेनवान :**

1. श्योकरण पि0मु0 पतराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

**– प्रार्थी**

**बनाम**

1. रमेश पुत्र मलाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सुरेश पुत्र मलाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. अजयकुमार पुत्र मलाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
6. ओरियन्टल बैंक कॉमर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाख भादरा तहसील भादरा।

**– अप्रार्थीगण**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

**दरख्वास्त बाबत : रास्ता स्वीकृत करने अन्तर्गत शर्त 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस सपठित धारा 251ए राज0काश्त0अधिनियम**

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : **प्रार्थी**

वकील श्री रामस्वरूप देहडु : **अप्रार्थी सं0 1 ता 3**

वकील श्री संदीप गोदारा : **अप्रार्थी सं0 7**

**निर्णय** **दिनांक :** 21.5.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के वर्तमान के वर्तमान खाता सं0 132/118 के मु0नं0 39 के किला नं0 16 ता 20, 23 ता 25, मु0नं0 40 किला नं0 18 ता 23, मु0नं0 51 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 मु0नं0 52 के किला नं0 3 ता 8, 12 व 13, 18 व 19, 22 व 23 की कुल 8.096 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी के पूर्वी तरफ चिपते हुये चक 1 बीएचडी के ही खाता सं0 73/72 के मु0नं0 40 के किला नं0 14 ता 17, किला नं0 24 व 25 मु0नं0 41 के किला नं0 20 व 21 मु0नं0 50 के किला नं0 1 व 10 मु0नं0 51 के किला नं0 4 ता 7 की 3.542 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि मय रास्ता अप्रार्थीगण सं0 1 व 3 की बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी में गांव भोजासर से चक 1 बीएचडी के मु0नं0 50 में दक्षिण से उत्तर की तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की मु0नं0 51 के किला नं0 6 व 7 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलकर अपनी खातेदारी चक 1 बीएचडी के मु0नं0 51 के किला नं0 8 में प्रवेश करता है। परन्तु मु0नं0 51 के किला नं0 6 व 7 में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी में रास्ता के सम्बन्ध में नक्शा नजरी संलग्न है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जबाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 1 बीएचडी में अप्रार्थीगण के चिपते स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए प्रार्थी द्वारा सदामत से मु0नं0 51 के किला नं0 13.14.15 के उतरी तरफ से पूर्व–पश्चिम चलकर अपने खातेदारी कृषि भूमि के मु0नं0 51 के किला नं0 8 में प्रवेश करना व प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा हेतु मनमाने रूप से मु0नं0 51 के किला नं0 6 व 7 से रास्ता चाहे जाने के कथन अंकित किये है। अपनी खातेदारी में कृषि हेतु काश्तकार को रास्ता की आवश्यकता होती है, धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में किसी भी काश्तकार को काश्त हेतु रास्ता स्वीकृति बाबत दो आवश्यक शर्ते/प्रावधान है 1. आत्यन्तिक आवश्यकता 2. वैकल्पिक रास्ता का अभाव। हस्तगत प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक भोजासर तहसील भादरा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता है न कि सुविधाजनक उपयोग के लिए है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य निकट कोई रास्ता व व्यवस्था नहीं है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की संभावना साबित होती है। प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी के खेत मु0नं0 51 के किला नं0 6 व 7 के दक्षिणी तरफ है, जो कि अप्रार्थीगण के खेत का दक्षिणी सिरा है अर्थात् प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण के खेत के एक किनारे पर होने के कारण अप्रार्थीगण के खेत पर कोई विपरीत असर पड़ने की संभावना नहीं है। प्रार्थीगण जमीन के बदले जमीन देने या डीएलसी से दोगुना राशि देने को तैयार है। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थीगण के मु0नं0 51 के किला नं0 6 व 7 के दक्षिणी तरफ एक एक बिस्वा (8–1/4 फुट गुणा 165 फुट) कुल दो बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के बदले भूमि के रूप में प्रार्थीगण के मु0नं0 51 के किला नं0 3 में पूर्वी तरफ दो बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के मु0नं0 51 के किला नं0 4 के पश्चिमी तरफ चिपते हुए प्रार्थी के खाते से कम की जाकर अप्रार्थीगण के खाते में जोड़ी जाए। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

( राजकुमार कस्वा )
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ़